न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, डॉ लक्ष्मी नारायण बुनकर RAS

राजस्व वाद पत्र संख्या – 32/2018

वादी :–

1. दयाराम पुत्र हरीराम
2. रामदीन पुत्र हरीराम

जातियान जाट निवासीगण ग्राम रियां, तहसील पीपाड़ शहर

3. विरेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र लाडुराम

जातियान जाट निवासीगण ग्राम बेरण तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. प्रकाश पुत्र उदाराम
2. श्रीमती कोयली पत्नि उदाराम

जातियान सुथार ग्रामवासीयान रियां तहसील पीपाड़ शहर

3. रामभरोस पुत्र रूकमा
4. जसोदा पुत्री रूकमा
5. पुजा पुत्री रूकमा

जातियान सुथार निवासी वीर दुर्गादास कॉलोनी बलदेवनगर मसूरीया जोधपुर ।

6. सोहनलाल पुत्र मिसाराम
7. ओमप्रकाश पुत्र मिसाराम

निवासीयान सांखलो का बेरा पीपाड़ शहर ।

8. तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री सुमेरसिंह गोदारा, श्री पदमाराम पंवार वादीगण की ओर से
श्री मन्सुर अली छीपा प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 19.07.2019

वादीगण ने एक वाद पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम रियां की राजस्व सीमा में खसरा नंबर 1565 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि जो कि पूर्व में बाबुलाल, प्रकाश, पप्पुराम पिता उदाराम जातियान निवासीगण पीपाड़ शहर के नाम से इन्द्राज थी जिस पर वादीगण ने प्रकाश पुत्र उदाराम व पप्पुराम पुत्र उदाराम से उनके हक व हिस्से की भूमि में से दिनांक 15.09.2009 को वादी दयाराम, रामदीन, विरेन्द्रसिंह व नरपतसिंह ने प्रत्येक ने 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि को खरीद किया लेकिन वादीगण अपनी खरीदसुदा भूमि का राजस्व रेकर्ड में नामांतरण नहीं करवा पाये उसके पश्चात राजस्व रेकर्ड की स्थिति नामांतरण संख्या 2147 के जरिये परिवर्तित हो गई जिसमें बाबुलाल पिता उदाराम का 1/6 हिस्सा, प्रकाश पुत्र उदाराम का 1/6 हिस्सा, पप्पुराम पुत्र उदाराम का 1/6 हिस्सा, कोयली पत्नी उदाराम का 1/3 हिस्सा व रूकमा पुत्री उदाराम का 1/6 हिस्सा इन्द्राज किया गया। पप्पुराम के फौत होने पर उसका 1/6 हिस्सा कोयली के नाम से नामांतरण संख्या 2538 के जरिये इन्द्राज किया गया उसके पश्चात नामांतरण संख्या 2942 के जरिये प्रकाश ने अपना 1/6 हिस्सा व कोयली ने अपना 1/6 व 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा सोहनलाल, ओमप्रकाश पुत्र मिसाराम को बेचान कर दिया व रूकमा के फौत

सहायक कलक्टर पी

Scanned by CamScanner

होने पर उनका हिस्सा उनके विधिक वारिसान के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ जो प्रतिवादी सं. 6 व 7 को बेचान कर दिया। वादीगण ने अपने अनुतोष में अंकन किया कि वादीगण के बंट में 06 बीघा भूमि रखी जावे व उनके हिस्से तक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता मंसूर अली छिपा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण में वादीगण ने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 6 व 7 ने राजीनामा प्रस्तुत करते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए राजीनामे अनुसार वाद पत्र को निर्णित किया जावे व राजीनामा प्रस्तुत करते हुए अंकन किया कि वादीगण को प्रत्येक को 01 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व शेष रजिस्ट्री में अंकित भूमि की मांग वादीगण नहीं करेंगे क्योंकि वादीगण द्वारा जो भूमि प्रकाश व पप्पुराम से खरीद की थी वह 01 बीघा प्रत्येक को बेचान करने के अधिकारी थे व 01 बीघा 10 बिस्वा बेचान करने के अधिकारी नहीं थे इसलिए अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का अधिकार प्रकाश व पप्पुराम को नहीं होने से उनके हिस्से तक यानि 01 बीघा तक वादीगण की प्रत्येक रजिस्ट्री को विधि सम्मत मानते हुए निर्णय पारित करने का निवेदन किया। राजीनामे को तस्दीक किया गया। राजीनामे में वादीगण के राजीनामे अनुसार खसरा संख्या 1565 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा में बाबुलाल पुत्र उदाराम का 1/6 हिस्सा यानि 02 बीघा तथा वादीगण प्रत्येक को 01 बीघा भूमि यानि चारों वादीगण की संयुक्त रूप से 04 बीघा व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की संयुक्त रूप से 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि बंट में रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विरूद्ध वाद पत्र को विड्रो करने हेतु प्रस्तुत किया था तथा धारा 53 आरटी एक्ट का अनुतोष भी वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर वादीगण का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विरूद्ध वापस प्रत्याहारित करने से प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की हद तक खारिज किया जाता है इस प्रकरण के निर्णय का प्रतिवादी संख्या 3 से 5 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा व धारा 53 आरटी एक्ट का अनुतोष वापस लेने से धारा 53 आरटी एक्ट की हद तक वाद पत्र खारिज किया जाता है व धारा 88 व 188 आरटी एक्ट की हद तक ही निर्णित किया जाता है।

उक्त प्रकरण में वादीगण के व प्रतिवादी संख्या 1,2,6 व 7 के मध्य राजीनामा हो जाने से तनकीयात कायम नहीं की गई व राजीनामे को तस्दीक किया गया तथा वकुलाय अधिवक्तागण की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व पत्रावली में पेश समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1,2,6 व 7 के मध्य राजीनामा हो चुका है व खसरा नंबर 1565 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा में बाबुलाल व पप्पुराम ने अपना हक व हिस्सा वादीगण को बेचान किया था तत्पश्चात बहनों व माता द्वारा नामांतरण अपील प्रस्तुत करने से सम्पूर्ण रकबा परिवर्तित होकर उदाराम के सभी वारिसान, के नाम इन्द्राज हुआ व वादीगण ने भी समय पर अपनी रजिस्ट्रीयों के अनुसार नामांतरण का इन्द्राज नहीं करवाया था लेकिन राजीनामे के अनुसार वादीगण अपनी खरीदसुदा 01 बीघा 10 बिस्वा प्रत्येक की भूमि के स्थान पर 01 बीघा प्रत्येक वादी लेने हेतु तैयार है इसलिए वाद पत्र में किसी प्रकार की दुर्भीसंधि हो प्रतीत नहीं होता है व राजीनामे से प्रकरण को निस्तारित करना न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए राजीनामे अनुसार न्यायालय डिकी पारित करना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वादपत्र राजीनामे अनुसार व राजस्व रेकर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम रियां में स्थित खसरा नंबर 1565 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा में वादी संख्या 1 दयाराम को 01 बीघा,रामदीन को 01 बीघा,विरेन्द्रसिंह को 01 बीघा तथा नरपतसिंह को 01 बीघा तथा बाबुलाल पिता उदाराम जाति सुथार निवासी रियां को 02 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 सोहनलाल,ओमप्रकाश को 05 बीघा 19 बिस्वा का संयुक्त खातेदार घोशित किया जाता है व इस आश्य की स्थायी निशेधाज्ञा पारित की जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक दूसरे के हक व हिस्से में तथा कब्जा एवं कास्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करेंगे ना किसी अन्य से करायेंगे। इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी हो मुर्तिब हो।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 19.07.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner

डिकी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

दयाराम वगैरा बनाम प्रकाश वगैरा

दावा बाबत 88,53,188 आर टी एक्ट   राजस्व मूल वाद संख्या 32/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील ओमप्रकाश कच्छावाह मनजानिब मुदई सुमेरसिंह गोदारा, पदमाराम पंवार व मन्सूर अली छीपा, मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र राजीनामे अनुसार व राजस्व रेकर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम रियां में स्थित खसरा नम्बर 1565 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा में वादी संख्या 1 दयाराम को 01 बीघा, रामदीन को 01 बीघा, विरेन्द्रसिंह को 01 बीघा तथा नरपतसिंह को 01 बीघा तथा बाबुलाल पिता उदाराम जाति सुथार निवासी रियां को 02 बीघा तथा प्रतिवादी सं. 6 व 7 सोहनलाल, ओमप्रकाश को 05 बीघा 19 बिस्वा का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक दूसरे के हक व हिस्से में तथा कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करेंगे ना किसी अन्य से करायेगे । इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी हो मुर्तिब हो ।

लीज ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य.......... बाबत ....शून्य.......... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद......................शून्य...............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............शून्य..............को अदा करें।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.07.2019 को जारी की गई।

दस्तखत..........
ओहदा..........

मुहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान..........			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान..........		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

Scanned by CamScanner